राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 181/2010/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड द्वितीय, प्रतिकरापवंचन कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुपर फास्ट गोल्डन,
ट्रॉसपोर्ट नगर, दिल्ली। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोकरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 67/आरएसटी/एनआरडी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, कोटा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2005 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 80(2) तहत् आरोपित कर राशि रूपये 9,544/– तथा शास्ति राशि रूपये 19,088/–/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2005 को वाहन संख्या एच.आर.–38–एच–4342 को झालावाड–कोटा रोड पर देवरी घाट के निकट रोक कर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। प्रथम दृष्टया माल दस्तावेजों से समर्थित प्रतीत नहीं होने से सशक्त अधिकारी द्वारा माल को निरूद्ध किया जाकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित में करापवंचन की स्वीकारोक्ति मान ली। सशक्त अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन किया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर व शास्ति का आरोपण कर दिया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल राज्य बाहर (हैदराबाद) से माल राज्य में फर्जी बिल–बिल्टी के आधार पर आयात कर करापवंचन किया जा रहा था। इस बाबत् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष लिखित में स्वीकारोक्ति दी है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा मेटल स्क्रेप माल हैदराबाद से दिल्ली ले जाया जा रहा था, इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील को इसलिए स्वीकार किया गया कि परिवहनित माल राज्य बाहर से राज्य बाहर को परिवहनित किया जा रहा था, परन्तु वाहन के भौतिक सत्यापन पर 47 बैग्स कॉपर स्क्रेप 92.30 प्रति बैग के हिसाब से घोषित माल से अधिक पाया गया, इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने विवेचना नहीं की है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वाहन में परिवहनित माल के साथ जो बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत किये गये, वो राज्य बाहर से राज्य बाहर के थे, परन्तु इन बिल एवं बिल्टियों में घोषित माल के अलावा जो भौतिक सत्यापन करने पर अतिरिक्त माल 47 बैग्स कॉपर स्क्रेप पाये गये उनका कोई भी बिल, बिल्टी एवं चालान नहीं पाया गया। अतः इस अघोषित माल पर जो शास्ति आरोपित की गई है, वह नियमानुसार उचित एवं विधिक है। माननीय राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल ने मैसर्स डायमंड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नई दिल्ली के प्रकरण में इस प्रकार राज्य के बाहर से राज्य के बाहर करवंचना करके परिवहनित किये जा रहे माल पर आरोपित शास्ति को विधिसम्मत ठहराया है।

6. हस्तगत प्रकरण में ट्रांसपोर्टर एवं माल मालिक ने लिखित में गलती स्वीकार कर शास्ति जमा करवाई है। अतः लिखित स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपित की गई शास्ति **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2009) 25 TUD 20 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड प्रथम, जालौर** में दिये गये निर्णय के अनुसार पूर्णतः विधिक है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में उक्त तथ्यों की विवेचना नहीं की है, अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त कर सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति बहाल की जाती है।

6. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

4/8/12

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य